न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 28.12.2020

प्रकरण संख्या –180/2020 (2020/00688)

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

श्रीमती कालीदेवी पुत्री गोपीलाल पति बद्रीलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी–सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

————विपक्षी

उपस्थितिअधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री भगवती लाल टेलर
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–08.01.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद नांदशा पटवार हल्का नांदशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 105 रकबा 0.5700 हैक्टयर किस्म बारानी III , 106 रकबा 0.2200 हैक्टयर किस्म बारानी III, 107 रकबा 0.2400 हैक्टयर किस्म बारानी III,108 रकबा 0.4500 हैक्टयरकिस्म बीड,109 रकबा 0.6200 हैक्टयर किस्म पेटाताला.II, 110 रकबा 0.0500 हैक्टयर किस्म पेटाताला.II, 111 रकबा 0.1500 हैक्टयर किस्म बीड, 119 रकबा 0.9800 हैक्टयर किस्म बारानी III, 4717/247 रकबा 0.1000 हैक्टयर किस्म बीड, 4718/[illegible] रकबा 0.2[illegible] हैक्टयर किस्म बीड कुल किता 10 कुल रकबा 3.5800 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थीया के नाम खातेदारी अधिकारों से दर्ज रेकार्ड है व प्रार्थीया के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:25:56 IST
Reason: SelfAttested

1.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा एकमात्र रास्ता ग्राम नांदशा की आराजी संख्या 97 से ही होकर जाया जा सकता है जो चरागाह एवं अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रेकार्ड है । उक्त आराजी से ही प्रार्थीया संजबैल, गाड़ियों, टैक्टर इत्यादि हर प्रकार के साधानो से सदैव से अपनी आराजी नम्बर 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 4717 / 247, 4718 / 109 मे आगमन करती चली आ रही है । लेकिन राजस्व नक्शे व रेकार्ड मे उक्त रास्ते का इन्द्राज नही होने से एवं आराजी संख्या 97 दर्ज सरकार होने एवं चरागाह भूमि होने आमजन मेरी आराजी में आवागमन पर लड़ाई—झगड़ा करते रहते है। साथ ही प्रार्थीया के सुनने में आया हैं कि पंचायत द्वारा नरेगा के अंतर्गत उक्त आराजी संख्या 97 पर मेड़बंदी प्रस्तावित कर रखी हैं यदि उक्त आराजी पर मेड़बंदी कर दी जाती है तो प्रार्थीया की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर आवागमन बंद हो जायेगा प्रार्थीया की आराजी मे आने जाने उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया का अपनी आराजियात में आने—जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता ही जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया है सुगम सरल व सुविधाजनक है। यदि पंचातय द्वारा मेड़बंदी कर बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थीया अपनी खातेदारी की आराजियात मे आवागमन नही कर पायेगी। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी मे आने जाने हेतु सीधा व सरल व सुगम उक्त रास्ता ही है।

यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र सरल सुगम रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे दर्ज नही होने से एवं ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के अंतर्गत मेड़बंदी बनाकर उक्त रास्ते को बंद कर दिया जायेगा।इस कारण प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है।

यह है कि प्रार्थीया ने उपरोक्त खातेदार से आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया परन्तु विपक्षी ने मना कर दिया जिससे प्रार्थीया अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पायी है । जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यह कि क्षतिपूर्ति की जो भी राशि विपक्षी की आराजियात में रास्ते के लिये निर्धारित होगी प्रार्थीया अदा करने को तत्पर है इसके अलावा रास्ते के बदले जमीन देने हेतु भी प्रार्थीया तत्पर है व आराजी संख्या 96 में से होते हुए आराजी [illegible] से 30 फीट की चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीया की अपनी आराजी नम्बर [illegible] 111, 119, 4717 / 247, 4718 / 109 मे आगमन हेतु नजरी [illegible] दिलवाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:25:56 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद नांदशा पटवार हल्का नांदशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थीया की अपनी आराजी नम्बर 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 4717/247, 4718/109 मे आागमन हेतु हेतु एकमात्र रास्ता आराजी संख्या 96 में से होते हुए आराजी संख्या 97 में से 30 फीट की चौड़ाई का नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीया सदैव तैयार है।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्याा 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी सं0 1 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब देही बंद की जाती है।
तहसीलदार सहाड़ा को प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः—

यह कि उक्त आराजी नं0 97 में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।
यह कि मौके पर उक्त आराजी नं0 97 चारागाह भूमि पड़त खाली पड़ी हुई है।
यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी तक पहुँचने के लिए उक्त आराजी नं0 97 चारागाह भूमि में से ही आवागमन किया जा रहा है।
यह कि उक्त रास्ते हेतु चारागाह आराजी नं0 97 रकबा 1.25 हे0 किस्म बीड़ में से 0.15 हे0 भूमि प्रस्तावित की गई है, उक्त प्रभावित 0.15 हे0 चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु चारागाह आराजी नं0 से सटी हुई प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नं0 106 रकबा 0.22 हे0 में से 0.15 हे0 भूमि को चारागाह दर्ज किये जाने बाबत् प्रस्तावित की गई है, प्रार्थीया रास्ता भूमि की एवज में स्वयं की खातेदारी भूमि को चारागाह दर्ज कराने में सहमत है।

यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि तथा चारागाह हेतु प्रस्तावित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।
यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीया स्वयंमयकील सरे ... आम में सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते एवं रिलिफ अनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। तथा विपक्षी पेरोकार सरकार ने संक्षिप्त बहस चारागाह भूमि के बदले प्रार्थीया की खातेदारी भूमि चारागाह दर्ज किये जाने का आदेश रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिलवायी जाने अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीया एवं विपक्षी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार सहाड़ा की रिपार्ट व वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट से भी जाहिर आया कि उक्त रास्ते हेतु चारागाह आराजी नं0 97 रकबा 1.25 हे0 किस्म बीड़ में से 0.15 हे0 भूमि प्रस्तावित की गई है, उक्त प्रभावित 0.15 हे0 चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु चारागाह आराजी नं0 से सटी हुई प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नं0 106 रकबा 0.22 हे0 में से 0.15 हे0 भूमि को चारागाह दर्ज किये जाने बाबत् प्रस्तावित की गई है, प्रार्थीया रास्ता भूमि की एवज में स्वयं की खातेदारी भूमि को चारागाह दर्ज कराने में सहमत है। जिससे रास्ते हेतु चारागाह आराजी नं0 97 रकबा 1.25 हे0 किस्म बीड़ में से 0.15 हे0 भूमि प्रस्तावित की गई है, उक्त प्रभावित 0.15 हे0 चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु चारागाह आराजी नं0 से सटी हुई प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नं0 106 रकबा 0.22 हे0 में से 0.15 हे0 भूमि को चारागाह दर्ज किये दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का रास्ते के एवज में भूमि दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाकर ग्राम नांदशाा प0ह0 नांदशा की चारागाह आराजी नं0 97 में से 0.15 हे0 का रास्ता प्रार्थीया की आराजी नं0 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119, 4717/247, 4718/109 में पंहुचने के लिए रास्ते की मौका रिपोर्ट में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करने एवं आराजी नं0 97 से सटी हुई प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नं0 106 रकबा 0.22 हे0 में से 0.15 हे0 भूमि चारागाह क्षतिपूर्ति हेतु बतौर चारागाह दर्ज अभिलेख किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार नक्शें में तरमीम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:25:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner